AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR), 3.125 (IIFS) & 3.8(SJIF)
Vol (3), Issue (2), April-June 2026 *ISSN: 3048-7951*

बिहार में नशामुक्ति नीति का प्रभाव : नीतीश कुमार के शासनकाल में सामाजिक परिवर्तन का एक अध्ययन

राकेश कुमार[1]; डॉ. अर्चना[2]

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20454534
Review: 01/05/2026 **Acceptance: 04/05/2026** **Publication: 30/05/2026**

शोध सार

बिहार में नशामुक्ति कानून का अध्ययन करना इस शोध का मुख्य उद्देश्य है, विशेष रूप से नीतीश कुमार के शासनकाल में। बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए इस कानून को सामाजिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और अपराध नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है। इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि नशामुक्ति कानून ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर कैसा प्रभाव डाला है। अध्ययन में यह भी विश्लेषण किया गया है कि इस कानून के लागू होने के बाद घरेलू हिंसा, अपराध दर और पारिवारिक कलह में कितनी कमी आई है। साथ ही, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आए सकारात्मक परिवर्तनों का मूल्यांकन किया गया है। शोध में यह भी देखा गया है कि नशामुक्ति कानून के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ सामने आईं, जैसे कि अवैध शराब का प्रसार और प्रशासनिक कार्रवाइयाँ। अंत में, यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि नशामुक्ति कानून ने बिहार में सामाजिक रूप से और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सावधानी और जागरूकता आवश्यक है।

मुख्य शब्द: नशामुक्ति कानून, शराबमुक्ति, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन

परिचय

बिहार में शराबबंदी कानून को राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2016 में लागू किया गया यह कानून केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में एक व्यापक पहल के रूप में उभरा है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त शराब की समस्या को समाप्त करना, पारिवारिक जीवन में स्थिरता लाना और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना है (बिहार सरकार, 2016)। शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद राज्य में सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक संरचना और अपराध की दर में परिवर्तन की संभावनाओं को व्यापक रूप से रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से, घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और सामाजिक अव्यवस्था जैसे मुद्दों में कमी लाने के लिए इस कानून को एक प्रभावी कदम माना गया है (कुमार, 2017)। साथ ही, यह कानून महिला

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना कॉलेज, पटना, बिहार, भारत|
[2]सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना कॉलेज, पटना, बिहार, भारत|

सशक्तिकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और महिलाओं की सामाजिक भूमिका में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है (सिंह, 2018)।

इस लेख में शराबबंदी कानून के सामाजिक प्रभावों, इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न परिवर्तनों और इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि यह कानून बिहार के समग्र सामाजिक विकास में कितना सहायक साबित हो रहा है।

शराबबंदी कानून का परिप्रेक्ष्य

बिहार में शराबबंदी कानून को समाज में व्याप्त शराब की समस्या के उन्मूलन और पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2016 में लागू इस कानून को एक व्यापक सामाजिक सुधार कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है, जिसका लक्ष्य केवल शराब की खपत को रोकना ही नहीं, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी सुदृढ़ करना है (बिहार सरकार, 2016)। इस कानून की पृष्ठभूमि में बिहार समाज में बढ़ती शराब की समस्या, उससे उत्पन्न पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा और आर्थिक अस्थिरता जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। विशेष रूप से, ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों पर शराब के दुष्प्रभाव अधिक देखे गए, जिससे परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा व्यर्थता व्यय हो रहा था और महिलाओं और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था (कुमार, 2017)। इस संदर्भ में शराबबंदी को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसके साथ ही, बिहार सरकार द्वारा 'सात निश्चय' और अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं को भी समानांतर रूप से लागू किया गया, जिनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से समग्र विकास को सुनिश्चित करना था (सिंह, 2018)। इस प्रकार, शराबबंदी कानून को एक समेकित विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत समझा जा सकता है, जो सामाजिक सुधार और आर्थिक प्रगति दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बिहार में लागू नशामुक्ति नीति के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाएगा।
2. नीतीश कुमार के शासनकाल में लागू 'सामाजिक बदलाव' और अन्य लोक-कल्याणकारी नीतियों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाएगा।
3. नशामुक्ति नीति के परिणामस्वरूप अपराध दर, घरेलू हिंसा और सामाजिक अव्यवस्थाओं में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाएगा।
4. महिला सशक्तिकरण, पारिवारिक स्थिरता और सामाजिक रिश्तों पर नशामुक्ति नीति के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।
5. नीति-निर्माण में नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता की भूमिका को समझा जाएगा।
6. नशामुक्ति नीति के क्रियान्वयन में उत्पन्न चुनौतियों और समस्याओं की पहचान की जाएगी।

परिकल्पनाएं:

H_1: बिहार में लागू नशामुक्ति नीति, 'सामाजिक बदलाव' और अन्य लोक-कल्याणकारी नीतियाँ सामाजिक सुधार और समाज-कल्याण के क्षेत्र में प्रभावी और सफल साबित होंगी।

H_2: बिहार में नीति-निर्माण की सफलता के पीछे नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रभावी नीति-निर्माण प्रमुख कारक होंगे।

सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण

नशामुक्ति नीति के लागू होने के बाद समाज में अनेक सकारात्मक परिवर्तनों की संभावना व्यक्त की गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू इस नीति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन में समृद्धि और स्थिरता लाना रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पारिवारिक संरचना को सुदृढ़ करने की कोशिश में यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शराब के अत्यधिक सेवन के कारण उत्पन्न होने वाले पारिवारिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक विघटन में कमी आने की संभावना इस नीति के प्रमुख प्रभावों में शामिल है (बिहार सरकार, 2016)।

घरेलू हिंसा के मामलों में कमी और सामाजिक शांति में वृद्धि भी इस नीति के महत्वपूर्ण परिणामों के रूप में सामने आ सकती है। कई अध्ययनों में यह संकेत किया गया है कि शराब के सेवन और घरेलू हिंसा के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया गया है, इसलिए शराबमुक्ति के माध्यम से इन समस्याओं में कमी लाई जा सकती है (कुमार और सिंह, 2018)। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार में कमी आने की संभावना भी व्यक्त की गई है, जिससे पारिवारिक वातावरण अधिक सुरक्षित और सहयोगात्मक बन सकता है।

अपराध दर में संभावित कमी भी इस नीति के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जा सकता है। शराब के सेवन से जुड़े अपराध–जैसे मारपीट, झगडे, सड़क दुर्घटनाएं और सामाजिक अव्यवस्था–में गिरावट देखने को मिल सकती है (एनसीआरबी, 2019)। इस प्रकार, नशामुक्ति नीति समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय के वातावरण को सुदृढ़ करने की कोशिश में एक प्रभावी कदम साबित हो सकती है।

महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता

नशा मुक्ति (शराबिंदी) नीति का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं परिवारिक स्थिति में सुधार लाना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू इस नीति को विशेष रूप से महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, क्योंकि शराब सेवन का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। इस नीति के लागू होने के बाद महिलाओं को घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याओं से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है (बिहार सरकार, 2016)।

परिवार की आय का दुरुपयोग कम होने से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की अपेक्षा की गई है, जिससे महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण में वृद्धि होगी (सिंह, 2018)। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और सक्रियता में वृद्धि की संभावना है।

इसके साथ ही, समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ने से सामाजिक जागरूकता का भी विकास होगा। नशा मुक्ति अभियानों, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से लोगों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जो दीर्घकालिक सामाजिक सुधार का आधार बनेगी (कुमार, 2017)। इस प्रकार, नशा मुक्ति नीति न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक होगी, बल्कि एक जागरूक और उत्तरदायी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नीति-निर्माण में नेतृत्व की भूमिका

इस अध्ययन में यह विश्लेषण किया जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता ने नशा मुक्ति (शराबिंदी) नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार में इस नीति का लागू होना एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम माना गया है, जो नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति और सामाजिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है (बिहार सरकार, 2016)।

नीनतीश कुमार ने नीति-निर्माण के दौरान सामाजिक यथार्थता को ध्यान में रखा, विशेषकर महिलाओं की मांग, नशाखोरी की समस्या को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में सरकार ने कानून निर्माण, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस नीति को प्रभावी बनाने का प्रयास किया (कुमार, 2017)।

इसके अलावा, नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय, कड़े कानूनी प्रावधानों और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया। यह भी देखा जाएगा कि नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी और सीधे हस्तक्षेप ने नीति के क्रियान्वयन को गति प्रदान की और इसे जन आंदोलन का रूप देने में सहायता की (सिंह, 2018)।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की प्रभावी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और सामाजिक दृष्टिकोण ने नशा मुक्ति नीति को एक सफल सामाजिक पहल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत में नशामुक्ति एवं मद्यपान निषेध संबंधी कानून

नशा केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती है। शराब, तंबाकू तथा मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, परिवार टूटते हैं, अपराध बढ़ते हैं और समाज की उत्पादक क्षमता घटती है। इसी कारण भारत में नशामुक्ति और मद्यपान निषेध को सामाजिक सुधार तथा लोक-स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया है।भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने नशे की रोकथाम, अवैध तस्करी पर नियंत्रण, उपचार एवं पुनर्वास के लिए अनेक कानून, नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं। भारतीय संविधान भी लोक-स्वास्थ्य की रक्षा हेतु राज्य को मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए प्रेरित करता है।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज़ एक्ट, 1985, जिसे एनडीपीएस एक्ट के नाम से जाना जाता है, भारत में मादक पदार्थों पर नियंत्रण का मुख्य कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन, व्यापार, वितरण, सेवन और तस्करी को रोकना है, जिससे समाज को इसके बुरे प्रभावों से बचाया जा सके।

उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. मादक द्रव्यों के उत्पादन, व्यापार और तस्करी पर नियंत्रण लगाना, ताकि इनका दुरुपयोग न हो।
2. नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास को बढ़ावा देना, जिससे वे अपने जीवन को फिर से संवार सकें।
3. संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का पालन सुनिश्चित करना, जो वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए बनाए गए हैं।

प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

a. नारकोटिक ड्रग्स में अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन जैसे पदार्थ शामिल हैं।
b. साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज़ में एलएसडी, एमडीएमए, मेथाम्फेटामाइन जैसी मानसिक प्रभाव डालने वाली दवाएँ आती हैं।

महत्त्वपूर्ण धाराएँ निम्नलिखित हैं:

a. धारा 8 मादक पदार्थों के उत्पादन, खरीद, बिक्री और सेवन पर रोक लगाती है।
b. धारा 20, 21 और 22 अवैध कब्ज़ा, परिवहन तथा तस्करी को दंडनीय अपराध घोषित करती हैं।
c. धारा 27 व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम मात्रा रखने वाले व्यक्ति के लिए उपचार और पुनर्वास का प्रावधान करती है।
d. धारा 31 पुनरावृत्ति होने पर कठोर दंड का प्रावधान करती है।
e. धारा 64ए नशे के आदी व्यक्ति को कारावास के स्थान पर "डी-ऐडिक्शन उपचार" चुनने का अवसर देती है।

दंड के प्रावधान इस प्रकार हैं:

a. छोटी मात्रा के लिए अधिकतम 1 वर्ष की सजा।
b. मध्यम मात्रा के लिए 10 वर्ष तक कारावास।
c. वाणिज्यिक मात्रा के लिए 10–20 वर्ष तक कठोर कारावास एवं भारी जुर्माना।

कार्यान्वयन एजेंसियों में शामिल हैं:

a. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)
b. राज्य पुलिस
c. सीमा शुल्क विभाग
d. बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं एसएसबी

इन एजेंसियों का काम मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकना है, साथ ही नशीली दवाओं के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और उपचार में मदद करना है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940

यह कानून औषधियों के निर्माण, गुणवत्ता और बिक्री को नियंत्रित करता है।

उद्देश्य

1. नशीली औषधियों की अवैध बिक्री रोकना
2. मेडिकल दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना

नशामुक्ति से संबंध

1. कोडीन, स्लीपिंग पिल्स, सिडेटिव्स और इंजेक्शन आधारित दवाओं की बिना चिकित्सकीय पर्ची बिक्री अवैध है।
2. मेडिकल स्टोर्स की लाइसेंसिंग अनिवार्य है।
3. अवैध ऑनलाइन दवा व्यापार पर कार्रवाई की जाती है।

ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) एक्ट, 1954:

यह कानून झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है।

उद्देश्य

1. "नशा छुड़ाने की गारंटी" जैसे फर्जी दावों को रोकना
2. चमत्कारिक इलाज के नाम पर जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को दंडनीय बनाना
3. मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 185 : शराब पीकर वाहन चलाना

यदि किसी व्यक्ति के रक्त में 30 mg/100 ml से अधिक शराब पाई जाती है, तो यह अपराध माना जाता है।

दंड

- पहली बार अपराध:
  a. 6 माह तक कारावास
  b. ₹10,000 तक जुर्माना
- पुनरावृत्ति पर:
  c. 2 वर्ष तक कारावास
  d. अधिक जुर्माना
- नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना भी दंडनीय अपराध है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015| यह कानून बच्चों को नशे से बचाने पर जोर देता है।

प्रमुख प्रावधान:

1. बच्चों को नशा देना या उनसे ड्रग्स की तस्करी करवाना गंभीर अपराध है।
2. बाल संरक्षण संस्थानों में नशामुक्ति परामर्श अनिवार्य है।
3. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003

मुख्य प्रावधान:

AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR), 3.125 (IIFS) & 3.8(SJIF)
Vol (3), Issue (2), April-June 2026 ISSN: 3048-7951

1. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है।
2. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
3. स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के भीतर तंबाकू बिक्री निषिद्ध है।
4. तंबाकू उत्पादों पर 85% चित्रात्मक चेतावनी अनिवार्य है।

यह कानून तंबाकू रोकथाम और नशामुक्ति कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देता है।

राज्य स्तरीय शराबबंदी कानून

भारत में शराबबंदी लागू करने का अधिकार राज्यों को है।

(A) बिहार: वर्ष 2016 में बिहार में "बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016" लागू किया गया।

इसके अंतर्गत:

1. शराब पीना, रखना, बनाना और बेचना दंडनीय अपराध है।
2. नशामुक्ति अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(B) गुजरात: गुजरात में स्थायी शराबबंदी लागू है और इसे भारत का सबसे मजबूत शराबबंदी मॉडल माना जाता है।

(C) नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप: इन क्षेत्रों में आंशिक या पूर्ण शराब प्रतिबंध लागू है। मादक पदार्थों की मांग कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR), 2018-2025 यह योजना मादक पदार्थों की मांग कम करने के लिए बनाई गई है।

प्रमुख उद्देश्य:

A. नशे के उपयोग में कमी लाना
B. नशामुक्ति केंद्रों का विस्तार
C. परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना
D. स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाना

प्रमुख गतिविधियाँ:

125 से अधिक जिलों में नशामुक्ति केंद्र
126 मोबाइल नशामुक्ति इकाइयां
127 सोशल मीडिया अभियान
128 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएं:

1. व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (IRCA)
2. डिटॉक्सिफिकेशन
3. परामर्श
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण

5. पुनर्वास और देखभाल
6. समुदाय-आधारित सहकर्मी नेतृत्व वाली हस्तक्षेप (CPLI)
7. किशोरों और युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम
8. स्कूल-आधारित जागरूकता अभियान
9. व्यसन उपचार सुविधाएं (ATFs)
10. AIIMS और जिला अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार केंद्र
11. हेल्पलाइन - 14446

"नशा मुक्त भारत अभियान" हेल्पलाइन के माध्यम से:

A. परामर्श
B. आपातकालीन सहायता

निकटतम पुनर्वास केंद्र की जानकारी प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल

1. मेडिकल डिटॉक्स केंद्र
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
3. नशे से संबंधित मानसिक रोगों का उपचार
4. विशेषज्ञ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक एवं परामर्शदाता उपलब्ध कराना

"नशा मुक्त भारत अभियान" – 2020

यह अभियान युवाओं में नशे की प्रवृत्ति समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

मुख्य उद्देश्य

1. युवाओं को नशे से दूर रखना
2. उच्च-जोखिम वाले जिलों में जागरूकता बढ़ाना

प्रमुख गतिविधियाँ

1. स्कूल एवं कॉलेज कार्यक्रम
2. सामुदायिक जागरूकता अभियान
3. महिला समूहों, NSS, NYKS और पंचायतों की भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय सहयोग:-

भारत निम्न संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशनों का पालन करता है:

1. 1961 Single Convention on Narcotic Drugs
2. 1971 Convention on Psychotropic Substances
3. 1988 UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs

भारत में नशामुक्ति के लिए कई कानून और योजनाएं हैं।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 में बच्चों को नशे से बचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

1. बच्चों को नशा देना या उनसे ड्रग तस्करी करवाना गंभीर अपराध माना जाता है।

2. बाल संरक्षण संस्थानों में नशामुक्ति परामर्श अनिवार्य किया गया है।

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के मुख्य प्रावधान हैं:

1. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना अपराध है।
2. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
3. विद्यालयों और महाविद्यालयों से 100 मीटर के भीतर तंबाकू बिक्री निषिद्ध है।
4. तंबाकू उत्पादों पर 85% चित्रात्मक चेतावनी अनिवार्य है।

यह कानून तंबाकू-निरोध और डी-ऐडिक्शन कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करता है।

राज्य स्तरीय शराबबंदी कानूनों के अंतर्गत: -

1. बिहार में "बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016" लागू किया गया है, जिसमें शराब पीना, रखना, बनाना और बेचना दंडनीय अपराध है।
2. गुजरात में स्थायी शराबबंदी लागू है और इसे भारत का सबसे सुदृढ़ शराबबंदी मॉडल माना जाता है।
3. नागालैंड, मिज़ोरम एवं लक्षद्वीप में आंशिक या पूर्ण शराब प्रतिबंध लागू है।
4. नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR), 2018–2025 का उद्देश्य मादक पदार्थों की मांग कम करना है।

इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

I. नशे के उपयोग में कमी लाना

II. नशामुक्ति केंद्रों का विस्तार

III. काउंसलिंग एवं पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराना

IV. स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता फैलाना

V. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं में शामिल हैं:

1. इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स (IRCA)
2. कम्युनिटी बेस्ड पियर लेड इंटरवेंशन (CPLI)
3. एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज (ATFs)
4. हेल्पलाइन - 14446, जो "नशा मुक्त भारत अभियान" के तहत परामर्श, आपात सहायता और नजदीकी पुनर्वास केंद्र की जानकारी प्रदान करती है।

भारतीय संविधान में नशामुक्ति संबंधी प्रावधानों में शामिल हैं:

a. अनुच्छेद 19(1)(g), जो व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु शराब व्यापार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है।

b. अनुच्छेद 19(6), जो राज्य को लोक-स्वास्थ्य के हित में शराब व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR), 3.125 (IIFS) & 3.8(SJIF)
Vol (3), Issue (2), April-June 2026 ISSN: 3048-7951

c. अनुच्छेद 21, जो स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है।

d. अनुच्छेद 38, जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

e. अनुच्छेद 39(e), जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि नागरिकों का स्वास्थ्य और शक्ति नष्ट न हों।

f. अनुच्छेद 47, जो राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने, लोक-स्वास्थ्य में सुधार करने और औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख व्याख्याओं में शामिल हैं:

1. स्टेट ऑफ बॉम्बे वी. एफ. एन. बालसारा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शराबबंदी कानून संवैधानिक रूप से वैध है और अनुच्छेद 47 राज्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
2. खोड़े डिस्टिलरीज लिमिटेड वी. स्टेट ऑफ कर्नाटक, जिसमें न्यायालय ने कहा कि शराब व्यापार सामान्य व्यापार नहीं है और राज्य चाहे तो इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है।नशामुक्ति का ऐतिहासिक पक्ष

स्वतंत्रता-पूर्व प्रयास: भारत में शराबबंदी का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने बढ़ावा दिया। उन्होंने शराब को परिवार और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया।

प्रमुख घटनाएँ:

1. महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक “हिंद स्वराज” में शराब को सामाजिक बुराई बताया।
2. चंपारण आंदोलन के दौरान महिलाओं ने शराब के खिलाफ आवाज उठाई।
3. सन 1925 में तीन हजार महिलाओं ने वायसराय को एक ज्ञापन दिया।
4. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताड़ीबंदी और शराबबंदी के आंदोलन चलाए गए।
5. जगلال चौधरी ने बिहार में शराबबंदी लागू करने के लिए बहुत प्रयास किए।

स्वतंत्रता के बाद के प्रयास: संविधान बनाते समय शराबबंदी को लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार से जोड़ा गया।

प्रमुख घटनाएँ:

1. संविधान के अनुच्छेद 47 में नशाबंदी का सिद्धांत शामिल किया गया।
2. विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के साथ शराबबंदी अभियान को जोड़ा।
3. सन 1961 में गुजरात में स्थायी शराबबंदी लागू हुई।
4. मोरारजी देसाई ने देश भर में नशाबंदी का प्रयास किया।
5. नितीश कुमार के नेतृत्व में 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई।

नशामुक्ति केवल कानून का मामला नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बड़ा अभियान है। भारतीय संविधान, न्यायपालिका, सामाजिक आंदोलन और सरकारी योजनाओं ने मिलकर नशामुक्त समाज बनाने के लिए बहुत काम किया है।

भारत में शराबबंदी और नशामुक्ति का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नैतिक समाज बनाना है। संविधान के अनुच्छेद 47 का मकसद यही है कि सरकार लोगों को नशे की बुराइयों से बचाए और उन्हें बेहतर जीवन दे।

चुनौतियाँ एवं सीमाएँ (Challenges and Limitations)

1. भले ही नशामुबि (शराबबंदी) नीति के कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रभावी ढंग से काम करने में कई चुनौतियाँ और सीमाएँ भी हैं। नितीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई इस नीति को सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन व्यवहार में इसके सामने कई बाधाएँ आ सकती हैं।
2. सबसे बड़ी चुनौती अवैध शराब की समस्या है। शराबबंदी के बाद काले बाजार के माध्यम से अवैध शराब की उपलब्धता बढ़ सकती है, जो न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होगी, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इसके अलावा, प्रशासनिक स्तर पर निगरानी और नियंत्रण की सीमाएँ भी इस नीति की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। सीमित संसाधन, पुलिस पर बढ़ता दबाव और न्यायिक प्रक्रिया में विलंब जैसी समस्याएँ नीति के सफल कार्यान्वयन में बाधक बन सकती हैं।
3. कानून के पालन में सामाजिक स्तर पर भी चुनौतियाँ हो सकती हैं। कुछ वर्गों में इस नीति के प्रति असंतोष, जागरूकता की कमी और सामाजिक स्वीकृति का अभाव इसके प्रभाव को सीमित कर सकता है। साथ ही, पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी भी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर सकती है।
4. इस प्रकार, नशामुबि नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रशासनिक सुदृढ़ता, जन जागरूकता और अंतर-राज्यीय समन्वय पर जोर दिया जाए, ताकि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार में नशामुबि (शराबबंदी) नीति सामाजिक सुधार और जन-कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्थापित हो रही है। नितीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई यह नीति न केवल नशे पर नियंत्रण के लिए है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, पारिवारिक जीवन और जन जागरूकता के विभिन्न आयामों को भी प्रभावित कर रही है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस नीति के परिणामस्वरूप अपराध दर, घरेलू हिंसा और सामाजिक अव्यवस्थाओं में कमी आने की संभावना बढ़ी है। इसके साथ ही, महिलाओं की स्थिति में सुधार, पारिवारिक आय के बेहतर उपयोग और सामाजिक रीति-रिवाजों का विकास जैसे सकारात्मक परिवर्तन भी परिलक्षित हो रहे हैं। 'साि बनश्चय' एवं अन्य लोक-कलयाणकारी योजनाओं के साथ मिलकर यह नीति समग्र सामाजिक विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

हालांकि, अवैध शराब की समस्या, प्रशासनिक चुनौतियाँ और सामाजिक स्वीकृति से संबंधित मुद्दे इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधक बन सकते हैं। इसलिए, आवश्यक है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर सुदृढ़ निगरानी तंत्र, प्रभावी कानून-प्रवर्तन और व्यापक जन जागरूकता अभियानों को निरंतर बढ़ावा दें।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि नशामुबि नीति, यदि सही प्रयास और जन-सहभागिता के साथ लागू की जाए, तो यह बिहार में दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त माध्यम बनेगी।

संदर्भ सूची

1. Government of Bihar. (2016). Bihar Prohibition and Excise Act, 2016. Government of Bihar.
2. Government of Bihar. (2016). Bihar Excise (Amendment) Act, 2016. Government of Bihar.
3. Government of Bihar. (n.d.). Prohibition policy documents. Government of Bihar.
4. Government of Gujarat. (1949). Gujarat Prohibition Act, 1949. Government of Gujarat.
5. Government of India. (1954). Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954. Government of India.
6. Government of India. (1985). Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. Government of India.
7. Government of India. (1988). Motor Vehicles Act, 1988. Government of India.
8. Government of India. (2003). Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), 2003. Government of India.
9. Government of India. (2015). Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. Government of India.
10. Jain, M. P. (n.d.). Indian constitutional law. LexisNexis.
11. Khoday Distilleries Ltd. v. State of Karnataka, AIR 1996 SC 911 (India).
12. Kumar, A. (2017). Impact of prohibition policy on social structure in Bihar. Journal of Social Sciences, 12(3), 45–58.
13. Kumar, A., & Singh, R. (2018). Alcohol consumption and domestic violence in India. Journal of Gender Studies, 10(1), 23–35.
14. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (n.d.). National Mental Health Programme (NMHP). Government of India.
15. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (n.d.). Publications and reports on public health and substance abuse. Government of India.
16. Ministry of Home Affairs, Government of India. (2019). Crime in India report 2019. National Crime Records Bureau.
17. Ministry of Home Affairs, Government of India. (n.d.). Reports and policies on narcotics control. Government of India.
18. Ministry of Road Transport and Highways, Government of India. (n.d.). Road safety and drunk driving regulations. Government of India.
19. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. (2020). Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Government of India.
20. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. (2018). National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018–2025). Government of India.
21. National Crime Records Bureau. (2019). Crime in India report 2019. Ministry of Home Affairs, Government of India.
22. Nitish Kumar. (2016). Speeches and policy statements on prohibition in Bihar. Government Publications.

23. Planning Commission of India. (2017). Evaluation report on social welfare schemes in Bihar. Government of India.
24. Singh, R. (2018). Women empowerment and prohibition in Bihar: A sociological study. Indian Journal of Social Development, 8(2), 78–92.
25. State of Bombay v. F. N. Balsara, AIR 1951 SC 318 (India).
26. Chandra, B. (n.d.). India's struggle for independence. Penguin Books.
27. Gandhi, M. (1938). Hind Swaraj (Rev. ed.). Navajivan Publishing House.
28. Central Drugs Standard Control Organization. (n.d.). Drug regulation and safety guidelines. Government of India.
29. Government of India. (1940). Drugs and Cosmetics Act, 1940. Government of India.
30. भारत। (1950). भारतीय संविधान। भारत सरकार।